भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 150
उत्तर देने की तारीख : 19 जुलाई, 2021

संग्रहालय की वस्तुओं को ऑनलाइन करना

150. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोविड-19 महामारी ने संग्रहालय और दीर्घा संग्रह को 'ओपन एक्सेस' माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने की आवश्यकता को रेखांकित किया है;

(ख) जून 2021 के अनुसार सरकारी संग्रहालयों और दीर्घाओं में इस समय कितनी कलाकृतियां ऑनलाइन एक्सेस हेतु उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
(जी. किशन रेड्डी)
संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(क) से (ग) : संस्कृति मंत्रालय ने कोविड-19 की शुरुआत से पहले अप्रैल, 2014 से अपने क्षेत्राधिकार के तहत जतन कार्यक्रम के माध्यम से दस (10) संग्रहालयों के संग्रहों का डिजिटाइजेशन कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा, मंत्रालय 'संग्रहालय अनुदान स्कीम' नामक एक स्कीम भी संचालित करता है जिसके अंतर्गत देशभर के संग्रहालयों की कलावस्तुओं को ऑनलाइन एक्सेस हेतु वेबसाइट पर उनके चित्र/कैटलॉग उपलब्ध कराने के लिए उनका डिजिटाइजेशन करने हेतु सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत राज्य सरकारों, सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों एवं न्यासों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

संस्कृति मंत्रालय के तहत सरकारी संग्रहालयों और गैलरियों की कलावस्तुओं की संख्या जो वेबसाइट http://museumsofindia.gov.in पर 30.06.2021 तक ऑनलाइन एक्सेस के लिए उपलब्ध है :

संग्रहालय का नाम	साइट पर उपलब्ध कलावस्तुओं की संख्या
i. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	80997
ii. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	46326
iii. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता	26611
iv. सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद	47504
v. इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज	61642
vi. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली	12902
vii. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, मुंबई	1460
viii. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, बेंगलुरू	534
ix. एएसआई गोवा संग्रहालय	701
x. एएसआई नागार्जुन कोंडा संग्रहालय	8450